भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1163

उत्तर देने की तारीख: 29.07.2021

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं पर वैश्विक महामारी का प्रभाव

1163 श्री शमशेर सिंह दुलोः
श्रीमती फूलो देवी नेतमः
श्री राजमणि पटेलः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने ऑनलाइन शिक्षा को अपनाने की अतिरिक्त लागत के कारण आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के छात्र-छात्राओं पर कोविड -19 वैश्विक महामारी और उसके कारण लगे लॉकडाउन के कारण पड़े वित्तीय प्रभाव के संबंध में आकलन करवाया है;
(ख) यदि हां, तो ऑनलाइन शिक्षा तक पहुँच स्थापित करने के लिए छात्र-छात्राओं के परिवारों द्वारा उठाई गई अतिरिक्त लागत का राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या मंत्रालय ने मार्च, 2020 से आज की तारीख तक किफायती दरों पर ऑनलाइन शिक्षा तक पहुँच स्थापित करने के लिए पाठ्यपुस्तकों, स्मार्टफोन, लैपटॉप, ऑनलाइन शिक्षण और अन्य माध्यम प्रदान करने के लिए राजसहायता और/अथवा भौतिक सहायता प्रदान करने हेतु कदम उठाए हैं; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) और (ख) कोविड-19 महामारी के दौरान, शिक्षा मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के वित्तीय प्रभाव और परिणामी लॉकडाउन के छात्रों पर प्रभाव सहित कोविड-19 महामारी के विभिन्न पहलुओं का आकलन करने के लिए विभिन्न स्तरों पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निरंतर परामर्श किया है। शिक्षा मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी की स्थिति में स्कूली छात्रों के ऑनलाइन लर्निंग के परिदृश्य को समझने के लिए जुलाई, 2020 में केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की सहायता से एक सर्वेक्षण किया है। सर्वेक्षण और निष्कर्षों का विवरण अधिगम संवर्धन दिशा-निर्देशों के अध्याय-3 में दिया गया है, जिसे निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है-

1. https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/Learning_Enhancement_0.pdf

2. https://seshagun.gov.in/sites/default/files/update/Learning_Enhancement.pdf
3. https://ncert.nic.in/pdf/announcement/Learning_%20Enhancement_Guidelines.pdf

नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) ने छात्रों के पास उपकरणों की उपलब्धता के संबंध में सर्वेक्षण किया और सभी छात्रों को बिना उपकरणों वाले छात्रों के संबंध में वैकल्पिक शिक्षण योजना उपलब्ध कराने के लिए मैप तैयार किया। सभी केंद्रीय विद्यालयों में उपकरणों की उपलब्धता के लिए छात्रों की मैपिंग भी की गई थी ताकि शैक्षिक लेनदेन के तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक तरीकों की योजना बनाई जा सके। स्कूलों ने प्रत्येक छात्र की पहुंच संबंधी मुद्दों पर काम किया है और प्रत्येक छात्र तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रयास कर रहे हैं और डिजिटल शिक्षा (टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, मोबाइल आदि जैसे उपकरणों के माध्यम से) के बहु-मोडल प्रारूपों को एक साथ रखने की दिशा में कई अभिनव कदम उठा रहे हैं। डिजिटल उपकरणों वाले और बिना डिजिटल उपकरण वाले छात्रों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूल में प्रत्येक शिक्षार्थी या शिक्षार्थियों के समूहों की अलग-अलग आवश्यकताओं के लिए सतत अधिगम योजना (सीएलपी) शुरू की गई है। जहां इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां शिक्षा मंत्रालय ने कई पहल की हैं जैसे स्वयम प्रभा के एक कक्षा एक चैनल का उपयोग टीवी के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है और एक डीटीएच चैनल विशेष रूप से सांकेतिक भाषा में श्रवण बाधित छात्रों के लिए संचालित किया जा रहा है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन और एक पॉडकास्ट जिसे सीबीएसई की शिक्षा वाणी कहा जाता है, शिक्षार्थियों के घर पर पाठ्यपुस्तकें, वर्कशीट, 21 वीं सदी के कौशल पर हैंडबुक उपलब्ध कराई गई और समुदाय/मोहल्ला कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं।

(ग) और (घ) कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2020-21 में समग्र शिक्षा के तहत कुल 8104.18 करोड़ रुपये का आवंटन डिजिटल पहल के माध्यम से ऑनलाइन अधिगम को बढ़ावा देने, शिक्षकों का निरंतर व्यावसायिक विकास सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण, स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) / स्कूल प्रबंधन और विकास समितियों (एसएमडीसी) के सदस्यों को कोविड-19 स्थिति के बारे में जागरूक करने और छात्रों एवं अभिभावकों के बीच जागरूकता सृजन के लिए प्रशिक्षण, मीडिया और सामुदायिक अभियान, कोविड -19 दिशानिर्देश के अनुसार स्कूल स्तर पर सुरक्षा और संरक्षा, सुरक्षा और संरक्षा पर शिक्षकों का उन्मुखीकरण और समग्र स्कूल अनुदान जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सुरक्षित स्कूल संचालन, स्वच्छता शामिल है और बुनियादी हाथ धोने की सुविधा, सुरक्षित पेयजल, अल्कोहल रब/सैनिटाइज़र कीटाणुनाशक, सफाई सामग्री, थर्मल स्क्रीनिंग सुविधाएं, आदि जैसी आवश्यक चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किया था और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा के तहत स्कूलों को पाठ्यपुस्तकें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं जहां ऑनलाइन कक्षाएं कठिन हैं। इसके अलावा, समग्र शिक्षा के तहत वर्ष 2021-22 में कुल 7662 करोड़ रुपये की तदर्थ अनुदान राशि जारी की गई है।

*****